

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4 (1) (ख) से सम्बंधित 01 से लेकर 17 बिन्दुओं की सूचना देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा।

1- परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ दो सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

2- जन सूचना अधिकारी की शक्तियाँ/कार्य:-जन सूचना अधिकारी द्वारा व्याक्तियों/संस्थाओं द्वारा मॉगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अर्न्तगत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित किया जाना।

सहायक जन सूचना अधिकारी की शक्तियाँ/कार्य:- अपने शाखा से सम्बंधित सूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।

3-प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अर्न्तगत आन्तरित करना या सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।

4-विहित सीमा के अर्न्तगत सूचनायें प्राप्त करना और समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना।

5-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।

6-दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-

- कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- शासन/अन्य से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- अपीलीय प्रार्थना पत्र।

7-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

8-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

9-जन सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।

10-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

11-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

12-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

13-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।


14-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

15-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

16-परिक्षेत्र स्तर पर जन सूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी के पदनाम एवं कार्यों का विवरण:-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	कार्य
1	श्री अनूप श्रीवास्तव एस0आई0एम0	प्रधान लिपिक/जन सूचना अधिकारी	व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मॉगी गयी सूचना को आवेनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बंधित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बंधित जनपदों को आन्तरित किया जाना।
2	श्री विजय कुमार पाण्डेय ए0एस0आई0एम0	एसी02/सहायक जनसूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी को अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना।
3	श्री अक्षयवर नाथ नायक उ0नि0ना0पु0	पी0आर0ओ0/सहायक जनसूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी को अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना।
4	श्री महेन्द्र बहादुर सिंह एच0सी0सी0पी0	सहायक जनसूचना अधिकारी	समस्त अभिलेखों का रखरखाव करना, आलेख प्रस्तुत करना, अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को कम्प्यूटर में अद्यतन करना।
5	श्री सुरेन्द्र कुमार यादव	आरक्षी ना0पु0	समस्त अभिलेखों का रखरखाव करना, आलेख प्रस्तुत करना, अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को कम्प्यूटर में अद्यतन करना।

17-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।


 जन सूचना अधिकारी,
 कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक,
 देवीपाटन परिक्षेत्र, उ0प्र0 गोण्डा।

अशा0पत्र संख्या:सीओडी-रीडर-ज0सू0अधि0-16/
 दिनांक:गोण्डा जनवरी, 6 2016